न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कानपुर देहात

पत्रसंख्या 27 /मो0दु0दा0अधि0/कानपुर देहात/ दिनांक 05 नवम्बर, 2026

उत्तर प्रदेश,शासन के शासनादेश संख्या–676/तीस–3–2019 परिवहन अनुभाग–3 दिनांक 09.03.2019 के अनुक्रम में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रमाबाईनगर (कानपुर देहात) के अन्तर्गत सेवा निवृत्त कार्मिकों के संविदा के आधार पर 65 वर्ष की आयु सीमा तक अथवा पूर्णकालिक **(सेवा/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति)** कार्मिकों की तैनाती होने, जो भी पहले हो, के लिये सेवायें प्रदान करने के लिये इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 23.11.2026 समय 4.00 बजे अपरान्ह तक पंजीकृत/स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। शासनादेश संख्या–एम.ए.सी.टी–73/30.03.2019 परिवहन अनुभाग–3 लखनऊ दिनांकित 25 फरवरी, 2020 के अनुसार मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रमाबाईनगर (कानपुर देहात) के रिक्त पदों पर भर्ती पीठासीन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी। रिक्त पदों की संख्या वेतनमान एंव वांछित अर्हतायें निम्नवत् है :–

कमांक	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन बैण्ड व ग्रेड वेतन	वांछित योग्यता एंव अर्हतायें
1	2	3	4	5
1	सहायक लिपिक	01	सेवा निवृत्त कार्मिकों की संविदा के आधार पर चयन इस शर्त के अधीन किया जायेगा, कि सेवा निवृत्त कार्मिकों को संविदा के रूप में मिलने वाली राशि सम्बन्धित कार्मिकों के अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्व पेंशन की धनराशि **(राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो)** को घटाने पर प्राप्त होने वाली राशि के बराबर प्रतिमाह मानदेय देय होगा।	माननीयन्यायालय/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी संस्था/सरकारी विभाग/बोर्ड इत्यादि के समान कार्यानुभव रखने वाले सेवा निवृत्त कर्मचारीगण। नोटः जिला न्यायालय से सेवा निवृत्त कर्मचारी को बरीयता दी जायेगी तथा कम्प्यूटर का ज्ञान होना अति–आवश्यक है।

आवेदन करने के लिये आयु दिनांक 01.10.2026 को 60 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होगी। दिनांक 31 अक्टूबर, 2026 को सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारीगण आवेदन के लिये अर्ह होगें ।

उपरोक्त पद हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन–पत्र **(जिसमें नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, स्व प्रमाणित फोटो एंव सम्पूर्ण पता मो0नं0 आदि का स्पष्ट उल्लेख हो)** के साथ आवश्यक अभिलेख यथा–शैक्षिक प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र, सेवा निवृत्त प्रेशन प्रपत्र इत्यादि संलग्न करं कार्यालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रमाबाईनगर (कानपुर देहात) के पते पर प्रेषित करें। अन्तिम तिथि व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नही किया जायेगा। चयन हेतु गठित समिति के अध्यक्ष को समस्त आवेदन पत्रों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। साक्षत्कार हेतु अभ्यर्थियों को उनके मोबाईल/टेलीफोन नम्बर पर सूचना दी जायेगी।

दिनॉक–03.11.2026

3/11/2026

(श्रीमती शाजिया नजर जैदी)
पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
रमाबाईनगर (कानपुर देहात)।

पत्रसंख्या– 28 /2026 समदिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 एक प्रति जिला न्यायालय तथा कलेक्ट्रेट कानपुर देहात के सूचना पट पर सामान्य सूचना हेतु चस्पा किया जाये।
2 जन सामान्य को सूचना हेतु निःशुल्क प्रकाशन के लिये सूचनाधिकारी, कानपुर देहात को प्रेषित किया जाये।
3 माननीय उच्च न्यायालय, तथा एन0आई0सी0 कानपुर देहात की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित किया जाये।

3/11/2026

(श्रीमती शाजिया नजर जैदी)
पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
रमाबाईनगर (कानपुर देहात)।